L. A. BILL No. XLIX OF 2023.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE CHIT FUNDS ACT, 1982, IN ITS APPLICATION TO THE STATE OF MAHARASHTRA.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ४९ सन् २०२३।

महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में चिट फंड अधिनियम, १९८२ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९८२ का ४०।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में चिट फंड अधिनियम, १९८२ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :–

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम चिट फंड (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम, २०२३ कहलाए।

सन् १९८२ का ४० की धारा ७० में संशोधन।

२. महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में चिट फंड अधिनियम, १९८२ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ७०, उसकी उप-धारा (१) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी ; और सन् १९८२ का ४०।

(क) इसप्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) में, "राज्य सरकार" शब्दों के पश्चात्, "या उस निमित्त राज्य सरकार द्वारा **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा जिसे सशक्त किया जाए ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को" शब्द जोडे जायेंगे ;

(ख) इस प्रकार पुनःक्रमांकित उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएं, जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

"(२) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया कोई अधिकारी या प्राधिकारी, अपीलकर्ता को उसके अभ्यावेदन करने का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे अपील पर जैसे या जिसे वह उचित समझे ऐसा आदेश पारित करेगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा।

(३) ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को सशक्त करने की अधिसूचना के ऐसे दिनांक पर, राज्य सरकार के समक्ष प्रलंबित सभी अपील ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को अंतरित किए जायेंगे और उनके द्वारा उसका निपटान किया जायेगा या मानों कि वे ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष दाखिल किए गए हैं।"।

सन् १९८२ का ४० की धारा ७१ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ७१ में, "राज्य सरकार द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या राज्य सरकार द्वारा सशक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी" शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य ।

चिट फंड अधिनियम,१९८२ (सन् १९८२ का ४०) चिट फंड के विनियमन का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा ७० के अधीन, अधिनियम की धारा ६९ के अधीन रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिति द्वारा पारित किसी आदेश या रजिस्ट्रार या नामनिर्देशिति के अधिनिर्णय से व्यथित कोई पक्षकार राज्य सरकार को अपील कर सकेगा। उक्त धारा के अधीन बडे पैमाने पर अपील सरकार के समक्ष दायर हुऐ हैं और वह प्रलंबित है।

२. इसलिए, सरकार, उसके शीघ्र निपटान करने के लिए ऐसे अपीलों की सुनवाई करने के लिए अधिकारी या प्राधिकारी को सशक्त करना इष्टकर समझती है। उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, तद्धीन अपीलों की सुनवाई करने कि लिये राज्य सरकार द्वारा जैसा कि अधिसूचित किया जाए ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को, सशक्त करने की दृष्टि से, महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में, चिट फंड अधिनियम, १९८२ की धारा ७० में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझती है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २१ नवंबर, २०२३।

अजित पवार,
उप-मुख्यमंत्री।

प्रत्यायुक्त विधानसंबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड २.—— इस खण्ड के अधीन महाराष्ट्र राज्य में उसकी प्रयुक्ति में चिट फंड अधिनियम, १९८२ (सन १९८२ का ४०) की धारा ७० में संशोधन करना है जिसका आशय राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, अपील की सुनवाई करने के लिए किसी अधिकारी या प्राधिकारी को सशक्त करने की, शक्ति प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांकित ६ नवंबर, २०२३।

जितेंद्र भोळे,
सचिव (१) (कार्यभार),
महाराष्ट्र विधान सभा।

शासकीय मुद्रणालय, नागपूर.